

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:-एम0ई0-2/2013/3676

लखनऊ : दिनांक 01.04.2013

... राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति ...

शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में रिक्त आचार्य, सह-आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in- Interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 08.04.2013 दिन सोमवार को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, जवाहर भवन, छाटा तल, लखनऊ में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लायेंगे।

चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति					
पेज नं.	विशिष्टता का नाम	मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर			योग
		आचार्य	सह-आचार्य	प्रवक्ता	
1	एनाटमी	1	1	0	2
2	एनेस्थीसिया	0	0	1	1
3	बायोकेमिस्ट्री	0	1	0	1
4	सामान्य मेडिसिन	0	2	0	2
5	माइक्रोबायलोजी	0	1	0	1
6	पीडियाट्रिक्स	0	1	0	1
7	पैथालोजी	1	1	0	2
8	फार्माकोलोजी	0	1	0	1
9	ई0एन0टी0	1	0	0	1
10	कम्युनिटी मेडिसिन	1	1	2	4
11	स्टेटीशियन कम प्रवक्ता	0	0	1	1
12	जनरल सर्जरी	0	2	0	2
13	अपथलमोलोजी	1	0	0	1
योग:-		5	11	4	20

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 70,000/-, सह-आचार्यों का नियत वेतन रू0 60,000/- तथा सहायक आचार्य को नियत वेतन रू0 45,000/- एवं प्रवक्ता को नियत वेतन रू0 40,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। डेण्टेस्ट्री की विशिष्टता में भी पी0जी0डिग्री धारक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता है।
- संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को पद हेतु निर्गत किए जाने वाले शासनादेश में उल्लिखित एवं निहित शर्तों को पूर्ण करना होगा। संविदा पर नियुक्ति हेतु चिकित्सा शिक्षकों के पद पर नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, परन्तु अनुसूचित जातियों,

- अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट होगी। आचार्य एवं सह-आचार्य के पद हेतु 65 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होगी।
 4. ओपीडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
 5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
 6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
 7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
 8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
 9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
 10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
 11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
 12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
 13. चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
 14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
 15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं।

महानिदेशक